न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना संख्या 106/2018

1. श्री वीरेन्द्रसिंह कानावत पुत्र स्व. श्री भंवरसिंह कानावत
2. श्री महेन्द्रसिंह कानावत पुत्र स्व. श्री भंवरसिंह कानावत

दोनो जाति राजपूत एवं निवासीगण ग्राम मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर राजस्थान

————प्रार्थीगण

ब ना म

1. श्री अल्लानूर पुत्र श्री करीम खं
2. श्री रघुवीरसिह पुत्र श्री मदनलाल मेवाड़ा
3. श्री यशवन्तसिंह पुत्र श्री मदनलाल मेवाड़ा

निवासीगण ललवाणी घाटी रामगढ रोड़ मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर

4. श्री बिरदा पुत्र श्री देवा रावत
5. श्रीमती केसी पत्नि श्री गोपी रावत
6. श्री मोहनसिंह पुत्र श्री लादूसिंह रावत

क्र.सं. 4 से 6 निवासीगण सिंघलों का मोहल्ला मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर

7. श्रीनिवास धूत पुत्र श्री चांदकरण धूत(महाजन) निवासी बडी पोल गोपाल द्वारा मंदिन के सामने मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर
8. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर

———अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. भू राजस्व अधिनियम

आदेश दिनांकः 09.08.2019

अधिवक्ता प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा मसूदा प्रथम पटवार क्षेत्र मसूदा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मसूदा प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2072–75 के खसरा संख्या 533/1 रकबा 06–00–00, 533/2 रकबा 04–00–00, 533/3 रकबा 01–08–00 भूमियां प्रार्थीगण की खातेदारी में चली आती है जिस पर बिना किसी रोक टोक व बिना बाधा के लगातार काबिज चला आता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की भूमियां लगते हुए है तथा अप्रार्थीगण अपनी दादागिरी के वशीभूत आए दिन प्रार्थीगण की भूमियों में आगे बढ़ जाते हैं एवं सीमा को लेकर विवाद बना रहता है, जिस हेतु वादग्रस्त भूमियों की पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायहित में अत्यंत आवश्यक है। उक्त भूमियों पर तहसीलदार महोदय मसूदा द्वारा सीमाज्ञान भी किया जा चुका है किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा लगातार हैरान परेशान करने के कारण प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार महोदय को आदेशित किया जावे कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात का मौके पर पत्थरगढ़ी करावें तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 को पाबंद करे कि वे प्रार्थीगण की उपरोक्त आराजी की पत्थरगढ़ी किये जाने से किसी प्रकार से कोई बाधा या रूकावट उत्पन्न नहीं करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जरिए नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

तहसीलदार (भू.अ.) मसूदा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किए कि प्रार्थीगण के ग्राम मसूदा प्रथम में मुताबिक राजस्व रेकार्ड जमाबन्दीसंवत् 2072–75 के खाता संख्या 734 में में

————लगातार

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

खसरा संख्या 533/1 रकबा 06–00–00 बीघा भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ भी अंकित है जो अन्य खसरान् के साथ विरेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह पि. भंवरसिंह कानावत कौम राजपूत सा. देह खातेदार के नाम खातेदारी में दर्ज है।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि पत्थरगढ़ी हेतु मुख्य अनुतोष मांगा है व उपरोक्त अनुतोष स्वीकृत रूप से आवासी भूमि के विषय में मांग की है जो कि राजस्व न्यायालय के सुनने का क्षेत्राधिकार ही नहीं है। केवल सिविल न्यायालय को ही सुनवाई का क्षेत्राधिकार है एवं बार्ड बाई लॉ होने से खारिज़ होने योग्य है। वादग्रस्त वर्णित आराजियात पर प्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नहीं है।बल्कि वर्तमान में सोदान सिंह वल्द घीसूसिंह कौम दरोगा के परिवारजन का कब्जा चला आ रहा है। इसी कारा राजस्व गिरदावरी में भी सोदानसिंह वल्द घीसूसिंह कौम दरोगा की गैर खातेंदारी में दर्ज है जिसे आज दिवस तक किसी भी न्यायालय के आदेश से आज दिवस तक बेदखल नहीं किया गया है। काननून पत्थरगढ़ी का आदेश पारित करते समय वादग्रस्त आराजी के चारों दिशाओं में स्थित भूमियों के खातेदारों को बिना सुने किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। मौजूदा प्रकरण में तो प्रार्थीगण ने जानबूझकर आस पड़ौस के खातेदार को पक्षकार बनाया ही नहीं है अतः प्रकरण चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी का पत्थरगढ़ी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त वादग्रस्त आराजी की पत्थरगढ़ी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होने का जवाब भी प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्षान की सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम मसूदा प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 734 में अंकित खसरा संख्या 533/1 रकबा 06–00–00, 533/2 रकबा 04–00–00, 533/3 रकबा 01–08–00 प्रार्थीगण विरेन्द्रसिंह, महेन्द्रसिंह पि. भंवरसिंह कानावत जाति राजपूत सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है जिसे तहसीलदार मसूदा ने भी अपने जवाब में अंकित किया है। इसके अलावा भी स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 ने भी पत्थरगढ़ी किये जाने बाबत् कोई आपत्ति नहीं की है। चूंकि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमियां है जिसमें वे जरिए नाप–चौप पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अधिकारी पाए जाते हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार मसूदा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थीगण से नियमानुसार पत्थरगढ़ी शुल्क प्राप्त कर प्रार्थीगण पक्षकारान एंव विवादित खसरान के आस पास के खातेदारान को सूचित कर एंव संबंधित हल्का पटवारी के साथ अन्य दो पास के हल्के के पटवारीयान/भूअभिलेख निरीक्षक की टीम गठित मसूदा प्रथम की जमाबन्दी संवत् 2072–75 के खाता संख्या 734 में अंकित खसरा संख्या 533/1 रकबा 06–00–00, 533/2 रकबा 04–00–00, 533/3 रकबा 01–08–00 का नियमानुसार सीमांकन कर मौके पर पत्थर गढी करावे पालना रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करावे।

आदेश आज दिनांक 09.08.2019 को मेरे द्धारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 16:34:41 IST
Reason: SelfAttested
Location: